



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55458

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 5608 वर्ष 2026

दिलशाद और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मोहम्मद आरिफ

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., कौशल किशोर मणि

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने स्वीकार किया है कि एक ही प्राधिकारी द्वारा एक ही तिथि को पारित समान आदेशों पर इस न्यायालय ने अनेक रिट याचिकाओं में विचार किया है। रिट याचिका संख्या 40691/2025 (कुर्बान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य) में, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2026 को आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा उपरोक्त रिट याचिका को अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्वीकार कर लिया गया था और दिनांक 09.03.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

"1. दिनांक 16.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद आरिफ, प्रतिवादी संख्या 5/ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशल किशोर मणि की ओर से उपस्थित श्री आज़ाद राय और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।

2. यह रिट याचिका तहसीलदार, जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 18.06.2025 को पारित आदेश (मामला संख्या 5439/2022) और अतिरिक्त कलेक्टर (न्यायिक), सहारनपुर द्वारा दिनांक 28.08.2025 को पारित आदेश (मामला संख्या 3544/2025) को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिनके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ खसरा संख्या 53 (क्षेत्रफल 0.001539 हेक्टेयर) के संबंध में बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता पर 10,200 रुपये का जुर्माना और 1000 रुपये का निष्पादन शुल्क लगाया गया है। दिनांक 18.06.2025 के उक्त आदेश की अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2025 के आदेश के माध्यम से पुष्टि की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(1) के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी नोटिस का सरसरी तौर पर अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर खसरा संख्या 53 में 0.001539 हेक्टेयर भूमि पर स्थायी मकान बनाकर कब्जा कर लिया है। उन्होंने नोटिस के साथ संलग्न सर्वेक्षण मानचित्र पर भी भरोसा जताया है और तर्क दिया है कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सर्वेक्षण मानचित्र सही ढंग से नहीं बनाया गया है क्योंकि मानचित्र में कोई निश्चित बिंदु नहीं दर्शाया गया है, जिसके आधार पर उक्त सर्वेक्षण किया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि ऐसा सर्वेक्षण मानचित्र अमान्य है क्योंकि यह राजस्व कार्यवाही के संबंध में सर्वेक्षण कार्यवाही पर लागू होने वाले किसी भी सर्वेक्षण नियम या प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। उन्होंने ऋषि पाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में दिए गए फैसले पर भी भरोसा जताया है। 2023 1 एडीजे 154 में यह निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय में धारा 67 के तहत कार्यवाही कैसे की जानी है और रिपोर्ट एवं सर्वेक्षण कैसे किए जाने हैं, इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उनका निवेदन है कि उक्त आदेश का पूर्णतः उल्लंघन हुआ है और अतः विवादित आदेश स्वतः ही अवैध और मनमाना है।

4. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विवादित आदेशों में कोई अवैधता नहीं है, अतिक्रमित क्षेत्र को राजस्व अभिलेखों में "जौहद" के रूप में दर्ज किया गया था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उक्त क्षेत्र के संबंध में कोई अधिकार नहीं है।

5. इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

7. इस मामले को रिट याचिका संख्या 40488 2025; नसीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य के साथ जोड़ें और 09.03.2026 को सूचीबद्ध करें।

8. अगली सुनवाई की तारीख तक, दिनांक 18.06.2025 और 28.08.2025 के विवादित आदेशों का संचालन और प्रभाव स्थगित रहेगा। याचिकाकर्ता को उस स्थान पर कोई नया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्माण करने या उस पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार स्थापित करने से भी प्रतिबंधित किया जाता है।

2. आज तक कोई प्रतिवाद हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है।

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने स्वीकार किया है कि विवादित आदेश इस न्यायालय द्वारा ऋषिपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में दिए गए कानून का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। 2023 (1) ए.डी.जे. 154 में प्रकाशित निर्णय के अनुसार

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चूंकि प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 18.06.2025 को पारित आदेश और अतिरिक्त कलेक्टर (न्यायिक), सहारनपुर/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 28.08.2025 को पारित आदेश, ऋषिपाल (उपरोक्त) मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे, इसलिए इन्हें रद्द किया जाना चाहिए और एतद्वारा रद्द किया जाता है।

5. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। कोई आदेश नहीं। खर्च के संबंध में।

6. प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार शीघ्र ही नया आदेश पारित करे।”

2. वर्तमान मामले में विवाद समान है, इसलिए याचिकाकर्ता समान राहत के हकदार हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण दिनांक 09.03.2026 को रिट याचिका संख्या 40691/2025 (कुर्बान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य) में पारित निर्णय एवं आदेश के अनुसार किया जाता है।

18 मार्च 2026

स्वाति

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।